2021:CGHC:1348

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक विविध याचिका क्रमांक 1444/2020

आदेश आरक्षित: 16-12-2020

आदेश पारित: 15-1-2021

भारत बजाज, पुत्र भवन दास, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर चौक, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, गृह / पुलिस विभाग के सचिव के माध्यम से, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर, बिलासपुर (छ.ग.)
3. उप पुलिस अधीक्षक, एजेएके पुलिस स्टेशन, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
4. स्वाति सिंह, पत्नी धर्मेंद्र वर्मा, निवासी निकट मंगला चौक, महावीर नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(शिकायतकर्ता)

--- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए: श्री विपिन पंजाबी, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 / राज्य के लिए: - श्री एच.एस. अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता, अग्रिम प्रति पर।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

सी.ए.वी. आदेश

1. इस याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर किया गया है और यह विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी (पीए) अधिनियम, बिलासपुर द्वारा दिनांक 18-02-2020 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें अन्वेषण

अधिकारी के अनुरोध पर याचिकाकर्ता/ अभियुक्त, पीड़िता और एक अन्य व्यक्ति का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है , क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक-2/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा-376 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एससीएसटी अधिनियम') की धारा 3(2)(v) के तहत दर्ज किया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश देते समय उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और विशेष न्यायाधीश ने मामले पर उचित मनोयोग नहीं दिया। बिना यह सुनिश्चित किए कि पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ एकत्रित सामग्री पर्याप्त और उपयुक्त है या नहीं , विवादित आदेश पारित कर दिया गया, इसलिए यह आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

3. श्री विपिन पंजाबी, याचिकाकर्ता/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विधवान अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता , पीड़िता और पीड़िता की पुत्री का डीएनए परीक्षण कराने का आदेश पूर्णतः अनुचित है , यह मानते हुए कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा एससीएसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध की जांच के लिए आवश्यक है। विवादित आदेश बिना याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर दिए पारित कर दिया गया, क्योंकि अभी अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है और अभिलेख पर ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उचित और न्यायसंगत जांच के लिए डीएनए परीक्षण आवश्यक है। विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काथी डेविड राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य[1] मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध है। अतः विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, श्री एच.एस. अहलूवालिया, राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विधवान सहायक महाधिवक्ता, जिन्होंने पूर्व सूचना की प्रति प्राप्त की है, ने प्रस्तुत किया कि डीएनए परीक्षण का निर्देश उचित आधार पर दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53ए के प्रावधानों के तहत उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश पारित किया गया है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विधवान अधिवक्ता को इस याचिका की धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकृति के प्रश्न पर सुना है और पूरी सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

---

1 (2019) 7 SCC 769

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. यह विवादित नहीं है कि अपराध क्रमांक-2/2019, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है और वह अन्वेषण का सामना कर रहा है तथा उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 2/2019 दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में उसकी मुलाकात याचिकाकर्ता से हुई थी और याचिकाकर्ता ने विवाह का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हुई और 6-2-2011 को एक पुत्री को जन्म दिया। बाद में याचिकाकर्ता ने विवाह करने से इंकार कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप 29-6-2019 को एफआईआर दर्ज कराई गई और उक्त अपराध याचिकाकर्ता के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसके गुप्तांगों के दो योनि स्लाइड तैयार कर 28-12-2019 को न्यायालय वैज्ञानिक प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजे गए। राज्य एफएसएल, रायपुर ने पत्र दिनांक 20-5-2019 के माध्यम से सुझाव दिया कि यदि पीड़िता अभियुक्त के कारण गर्भवती हुई थी, तो आरोप को साबित करने के लिए डीएनए परीक्षण उचित होगा और डीएनए परीक्षण से यह स्थापित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जा सकता है कि पीड़िता की पुत्री का जैविक पिता कौन है। इसी के आधार पर, अन्वेषण अधिकारी ने 17-2-2020 को विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), बिलासपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पीड़िता, याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति का डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया गया , और इस आवेदन पर learned विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 18-2-2020 को विवादित आदेश पारित किया, जिसमें यह माना गया कि उचित अन्वेषण और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने के लिए याचिकाकर्ता , पीड़िता और पीड़िता की पुत्री का डीएनए परीक्षण आवश्यक है। यही आदेश वर्तमान याचिका में चुनौती दिया गया है।

7. डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid) है, जो प्रत्येक जीव का जैविक ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए एक द्विसुत्री संरचना (double-stranded structure) से बना होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होता है, जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड से आपस में जुड़े होते हैं—एडेनिन (Adenine) और ग्वानिन (Guanine) (पुरिन्स) तथा थाइमिन (Thymine)और साइटोसिन (Cytosine) (पाइरीमिडिन्स)। डीएनए प्रोफाइलिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहचान करना होता है , जैसे कि किसी व्यक्ति की पहचान

और उसके रक्त संबंधी व्यक्तियों—माता , पिता, भाई आदि की पहचान करना। डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से कंकाल अवशेषों की सफल पहचान भी की जा सकती है। डीएनए आमतौर पर किसी भी जैविक सामग्री जैसे रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा, हड्डियाँ आदि से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रश्न कि डीएनए परीक्षण पूर्णतः अचूक (virtually infallible) है या नहीं , बहस का विषय हो सकता है , लेकिन यह एक तथ्य है कि डीएनए परीक्षण आधुनिक न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और अपराध जांच में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय प्रायः विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करता है , विशेष रूप से जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (circumstantial evidence) पर आधारित हो। (संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मदेव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[2] मामले के निर्णय का अनुच्छेद 34)।

8. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन 2005 में सक्षम विधायिका द्वारा किया गया था ताकि यौन अपराधों (sexual offences) में रक्त, रक्त के धब्बे और वीर्य के परीक्षण से जुड़ी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसके तहत धारा 53A को जोड़ा गया, जो बलात्कार के आरोपी के चिकित्सा परीक्षण (examination of person accused of rape by a medical practitioner) से संबंधित है। धारा 53A इस प्रकार है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> धारा 53 अ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच-
>
> 1. जब किसी व्यक्ति को बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उसके शरीर की जांच से ऐसे अपराध के किए जाने के बारे में साक्ष्य मिलेगा , तो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में , जहां अपराध किया गया है, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करते हुए , और उसकी सहायता में और उसके निर्देश के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना और ऐसा बल प्रयोग करना वैध होगा, जो उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

2 2014(4) Scale 730

2. ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी देरी के ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण देते हुए उसकी परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात;
    1. अभियुक्त का नाम और पता तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उसे लाया गया था,
    2. अभियुक्त की आयु,
    3. अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों,
    4. डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण , और"।
    5. अन्य सामग्री विवरण उचित विस्तार में।
3. रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
4. रिपोर्ट में परीक्षा के प्रारंभ और समाप्ति का सही समय भी अंकित किया जाएगा।
5. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलम्ब के जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अग्रेषित करेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में अग्रेषित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उक्त प्रावधान को संशोधन अधिनियम 25, 2005 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में जोड़ा गया था, जिससे बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के आरोपी का विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण (detailed medical examination) किया जा सके। यह परीक्षण किसी सरकारी या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक (registered medical practitioner) द्वारा किया जाना आवश्यक है। यदि अपराध स्थल से 16 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यह परीक्षण किया जा सकता है।

10. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (Dipak Misra, J.) ने मुक़दमा-मुकेश एवं अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) एवं अन्य[3] [(2017) 6 SCC 1] में डीएनए की परिभाषा दी:

3 (2017) 6 SCC 1

"211. डीएनए (DNA) का पूरा नाम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid) है। यह प्रत्येक मानव शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक अनुवांशिक सामग्री (genetic material) है। यह लाल रक्त कणिकाओं (red blood corpuscles) में नहीं पाया जाता, लेकिन यह सफेद रक्त कणिकाओं (white blood corpuscles) में मौजूद रहता है। यह आनुवंशिक कोड (genetic code) को वहन करता है और मनुष्य के स्वभाव, व्यवहार तथा शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। फॉरेंसिक विज्ञान (forensic science) में डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए की संरचना एक जटिल अणु (complex molecule) होती है, जिसकी डबल हेलिक्स संरचना (double helix structure) होती है, जिसे एक मुड़ी हुई रस्सी या 'सीढ़ी' के रूप में समझा जा सकता है।"

"216. डीएनए तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपराध जांच में मार्गदर्शन देने के साथ-साथ न्यायालय को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित साक्ष्य प्रदान करता है। आधुनिक जैविक अनुसंधान में हुई प्रगति के कारण फॉरेंसिक विज्ञान न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है। हमारे देश में भी, कई अन्य विकसित और विकासशील देशों की तरह, न्यायालयों द्वारा डीएनए साक्ष्य पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 25, 2005 के तहत धारा 53A जोड़े जाने के बाद, डीएनए प्रोफाइलिंग विधिक ढांचे का हिस्सा बन चुकी है। धारा 53A बलात्कार के आरोपी के चिकित्सकीय परीक्षण से संबंधित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश ने इस विषय पर संपूर्ण विधि की समीक्षा की और अंततः अनुच्छेद 228 और 229 में यह निर्णय दिया कि डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि इसे पूर्णतः खंडित न किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"228. उपरोक्त प्राधिकारों से यह स्पष्ट है कि डीएनए रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि इसे पूर्णतः खंडित न किया जाए, और यदि इसे अस्वीकार करना हो, तो यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन नहीं किया गया था। यदि सैंपलिंग उचित रूप से की गई हो और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई प्रमाण न हो, तो डीएनए परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाना चाहिए।

229.अभियुक्तों और घटना के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए , अभियोजन पक्ष ने डीएनए, फिंगरप्रिंट और बाइट मार्क विश्लेषण के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं।"

आर. भानुमति, जे. ने अपने अलग लेकिन सहमति वाले निर्णय में पैराग्राफ 457 में डीएनए को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया:

"457. डीएनए साक्ष्य अब एक प्रमुख फोरेंसिक तकनीक बन गई है, जो अपराध स्थल पर छोड़े गए जैविक ऊतकों के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने या अभियुक्त या गवाहों से बरामद वस्तुओं या कपड़ों आदि पर मिले रक्त के स्रोत की पहचान करने में सहायक होती है। लार, त्वचा, रक्त, बाल या वीर्य जैसे नमूनों पर किए गए डीएनए परीक्षण न केवल अभियुक्त को दोषी सिद्ध करने में मदद करते हैं, बल्कि उसे दोषमुक्त करने का भी कार्य करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिष्कृत तकनीक निर्णायक परिणाम प्रदान करना संभव बनाती है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए जोड़ी गई है। यह बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने के अपराध में अभियुक्त की विस्तृत चिकित्सकीय जांच के प्रावधान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करती है, जो किसी सरकारी या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा की जाती है , या यदि ऐसा विशेषज्ञ अपराध स्थल से 16 किमी की परिधि में उपलब्ध न हो, तो किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा की जाती है।"

11. इसी प्रकार, कृष्ण कुमार मलिक बनाम राज्य हरियाणा[4] के मामले में, एक सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में जब अभियोजन पक्ष ने डीएनए परीक्षण नहीं कराया या अभियुक्त के वीर्य का मिलान अभियोगिनी के अंतःवस्त्रों पर पाए गए वीर्य से नहीं कराया, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए के समावेशन के पश्चात ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है , और निम्नलिखित टिप्पणियां की:

4 (2011) 7 SCC 130

"44. अब, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए को 23-6-2006 से प्रभावी कर दिया गया है, जिसे उत्तरदायी राज्य के अधिवक्ता ने हमारे संज्ञान में लाया, तो ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए डीएनए परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में सुविधा मिले। 2006 से पूर्व, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता में यह विशिष्ट उपबंध नहीं था, फिर भी अभियोजन पक्ष इस प्रक्रिया को अपनाकर डीएनए परीक्षण या विश्लेषण करा सकता था और अभियुक्त के वीर्य का मिलान अभियोगिनी के अंतःवस्त्रों पर पाए गए वीर्य से कराकर इस मामले को त्रुटिहीन बना सकता था , लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतः उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।"

12. अतः, चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन किया गया है और धारा 53A को संशोधन अधिनियम 25, 2005 के माध्यम से जोड़ा गया है , डीएनए प्रोफाइलिंग अब विधायी योजना का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसे अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसे धारा 53A में विधिवत रूप से अनिवार्य किया गया है, जो बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच को अनिवार्य बनाता है। धारा 53A की उपधारा (2) के खंड (iv) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जाएगी, जिसमें आरोपी से लिए गए नमूनों का विवरण डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए दिया जाएगा। बलात्कार के अपराध की जांच में रक्त के नमूने लिए जा सकते हैं , जहां अन्वेषण एजेंसी को संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करना होता है। अतः, बलात्कार के अपराध की जांच के दौरान, जैसा कि विधिक रूप से अपेक्षित है, नमूना मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए लिया जाना आवश्यक है, जैसा कि धारा 53A(iv) में प्रावधानित किया गया है। यदि डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध होती है, तो यह आवश्यक रूप से याचिकाकर्ता को प्रदान की जाएगी और उसे विधि के अनुसार डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। उक्त रिपोर्ट केवल उसी स्थिति में संबंधित न्यायालय द्वारा विचारणीय होगी जब इसे आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष विधिवत रूप से इसे प्रमाणित करेगा। अन्वेषण की इस अवस्था में, जब सक्षम न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53A के विधायी प्रावधान के अनुपालन में याचिकाकर्ता और अन्य दो व्यक्तियों के डीएनए परीक्षण हेतु आदेश दिया गया है , तब याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि विवादित आदेश पारित करने से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए। अतः , इस संबंध में प्रस्तुत की गई दलील अस्वीकृति योग्य है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अगली दलील यह है कि बिना उचित रूप से कथित अपराध की जांच किए ही डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन किया गया और उसे मंजूरी दे दी गई।

14. याचिका पर विचार करने के लिए यह उचित होगा कि अनुलग्नक पी-11 के रूप में जांच अधिकारी द्वारा दायर किए गए आवेदन पर ध्यान दिया जाए, जिसमें जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि पीड़िता की योनि स्लाइड्स को राज्य एफएसएल भेजा गया था और प्रयोगशाला ने आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता/अभियुक्त का डीएनए परीक्षण कराने की सलाह दी थी। इसके बाद, जांच अधिकारी ने इस मामले पर विचार किया और आरोपों को स्थापित करने तथा पीड़िता की उस बेटी के जैविक पिता का पता लगाने के लिए , जो कथित रूप से याचिकाकर्ता और पीड़िता के सहवास से जन्मी बताई गई है, पीड़िता, अभियुक्त और बेटी का डीएनए परीक्षण आवश्यक माना और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आवेदन दायर करने का निर्णय लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि बिना किसी जांच के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आवेदन किया गया, जिसे विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण) द्वारा स्वीकृत किया गया। याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री पंजाबी द्वारा इस संबंध में उद्धृत *काठी डेविड राजू* मामले का निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में सहायक नहीं है। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि बिना किसी ठोस जांच के जांच अधिकारी द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन किया गया था, जिसे निर्देशित नहीं किया जा सकता और इस आधार पर उनके प्रभुता ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन यह स्वतंत्रता दी थी कि यदि रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री हो तो डीएनए परीक्षण का अनुरोध पुनः विचाराधीन हो सकता है। अतः, *काठी डेविड राजू* मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि इस मामले में, ठोस जांच के बाद और राज्य एफएसएल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया गया था, जिसे विशेष न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, मुझे डीएनए परीक्षण के निर्देश वाले विवादित आदेश में कोई गैरकानूनी

या मनमानी नहीं दिखती। यह याचिका किसी भी आधार पर टिकने योग्य नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

15. अभिलेख से अलग होने से पहले , विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण) और जांच अधिकारी के लिए एक चेतावनी देना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 ए इस प्रकार है:

"228 ए. कुछ अपराधों आदि के पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण

1. जो कोई नाम या कोई सामग्री मुद्रित या प्रकाशित करता है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान ज्ञात हो सकती है जिसके विरुद्ध धारा -376, धारा-376 ए, धारा-376 एबी, धारा- 376 बी, धारा-376 सी, धारा-376 डी, धारा-376 डीए और धारा-376 डीबी के अधीन अपराध किया जाना अभिकथित है या किया जाना पाया गया है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित कहा गया है) उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

2. उपधारा (1) की कोई बात नाम या किसी बात के मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होगी जिससे पीड़ित की पहचान ज्ञात हो सके , यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन-(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन , जो ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो ; या (ख) पीड़ित द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से; या (ग) जहां पीड़ित मर चुका है या नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वहां पीड़ित के निकटतम संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से: परंतु ऐसा कोई प्राधिकार निकटतम संबंधी द्वारा किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव , चाहे जिस नाम से पुकारे जाएं, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए , "मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन" का अर्थ केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त सामाजिक कल्याण संस्था या संगठन है।

3. जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा , उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दण्डित किया जाएगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के भीतर अपराध नहीं है।"

16. यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए न्यायालय की कार्यवाही पर लागू नहीं होती, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि पीड़िता (बलात्कार) का नाम न्यायालय के निर्णयों/आदेशों में उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, आलोचित आदेश में विशेष न्यायाधीश द्वारा दो बार पीड़िता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो कि कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

17. यह विषय समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा का विषय रहा है, और इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य[5] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह जोर देकर कहा कि यौन उत्पीड़न या हमले की पीड़िता के प्रति जांच के दौरान संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए और न्यायालयों को अपने आदेशों में अभियोजिका का नाम प्रकट करने से बचना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार की शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

"24. ... यह अपराध की शिकार पीड़िता को थोड़ा सहज महसूस कराने और प्रश्नों का उत्तर अधिक आसानी से देने में सक्षम बनाएगा, जब वह अधिक परिचित न होने वाले वातावरण में होगी। बंद कमरे में सुनवाई न केवल अपराध की पीड़िता के आत्म-सम्मान के अनुकूल होगी और विधायी मंशा के अनुरूप होगी, बल्कि यह अभियोजन पक्ष की गवाही की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी, क्योंकि वह खुले न्यायालय में जनता की नजरों के सामने उतनी झिझक या संकोच महसूस नहीं करेगी जितनी वह अन्यथा कर सकती है। अभियोजन पक्ष की गवाही की बेहतर गुणवत्ता न्यायालय को सत्य तक पहुंचने और सत्य को असत्य से अलग करने में सहायता करेगी। ...- न्यायालयों को, जहां तक संभव हो, अपने आदेशों में

5 (1996) 2 SCC 384

अभियोजिका का नाम प्रकट करने से बचना चाहिए, ताकि यौन अपराध की शिकार पीड़िता को और अधिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके। अपराध की शिकार पीड़िता की गुमनामी को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अपने अपीलाधीन आदेश में बार-बार पीड़िता का नाम लिया, जबकि उसे केवल अभियोजिका के रूप में संदर्भित किया जा सकता था। इस पहलू पर हमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है , और हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट धारा 327(2) और (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों को उदारतापूर्वक अपनाएंगे। बलात्कार मामलों की बंद कमरे में सुनवाई एक सामान्य नियम होनी चाहिए और ऐसे मामलों में खुली सुनवाई एक अपवाद।"

19. भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 228A का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

"2. हम पीड़िता का नाम उल्लेखित करने का प्रस्ताव नहीं रखते। भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "IPC") की धारा 228A कुछ अपराधों की पीड़िताओं की पहचान उजागर करने को दंडनीय बनाती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 376, 376A, 376B, 376C या 376D के अंतर्गत दर्ज अपराध की शिकार किसी व्यक्ति की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को प्रकाशित या मुद्रित करता है , तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह सत्य है कि यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होता। लेकिन चूंकि धारा 228A को यौन अपराध की शिकार पीड़िता की सामाजिक प्रताड़ना या बहिष्कार को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है , इसलिए यह उचित होगा कि किसी भी न्यायालय, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय, के निर्णय में पीड़िता का नाम प्रकट न किया जाए। हमने अपने निर्णय में उसे 'पीड़िता' के रूप में संदर्भित करना उचित समझा है।"

20. सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह[7] और कर्नाटक राज्य बनाम पुट्टराजा[8] के मामलों में भी इसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है।

---

6 (2003) 8 SCC 551
7 (2004) 1 SCC 421
8 (2004) 1 SCC 475

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य[9] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 228-ए के उद्देश्य, प्रयोज्यता और दायरे पर विचार किया। इसके अलावा, इस निषेध के अपवादों को भी ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया कि धारा 228-ए न केवल पीड़िता के नाम के प्रकाशन को प्रतिबंधित करती है, बल्कि किसी भी अन्य ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को भी रोकती है , जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती हो। इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

"11. न तो भा.द.सं. और न ही द.प्र.सं. में 'किसी व्यक्ति की पहचान' शब्दावली को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 228-ए स्पष्ट रूप से 'नाम या किसी अन्य विषयवस्तु' के मुद्रण या प्रकाशन को निषिद्ध करती है , जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती हो। यह स्पष्ट है कि न केवल पीड़िता के नाम के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया है, बल्कि किसी भी अन्य जानकारी के प्रकटीकरण पर भी रोक है, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है। हमारा स्पष्ट मत है कि 'ऐसी विषयवस्तु जिससे व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती हो' का तात्पर्य केवल पीड़िता के नाम के प्रकटीकरण से नहीं है , बल्कि इसका आशय यह भी है कि प्रकाशित सामग्री के माध्यम से पीड़िता की पहचान प्रकट नहीं होनी चाहिए। विधायकों का उद्देश्य था कि ऐसे अपराधों की पीड़िताओं की पहचान उजागर न हो, जिससे वे भविष्य में किसी प्रकार के शत्रुतापूर्ण भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, पुलिस अधिकारी ने जांच के दौरान और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आवेदन करते समय कई स्थानों पर पीड़िता का नाम उल्लेखित किया है, जो स्पष्ट रूप से कानूनन अनुमेय नहीं है। निपुण सक्सेना(supra) में, इस संदर्भ में, माननीय न्यायाधीशों ने पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है:

"13. आईपीसी की धारा 228-ए की उपधारा (2) पुलिस अधिकारियों के लिए एक अपवाद बनाती है, जिन्हें पुलिस स्टेशन या जांच फ़ाइल में पीड़िता की वास्तविक पहचान दर्ज करनी पड़ सकती है। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में पीड़िता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। हालांकि, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए , विशेष रूप से मीडिया में तो

9 (2019) 2 SCC 703

बिल्कुल भी नहीं। हमारा मानना है कि इस प्रकार के मामलों और अपराधों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी यथासंभव पीड़िता के लिए एक छद्म नाम (pseudonym) का उपयोग करें, जब तक कि उसकी पहचान लिखना बिल्कुल आवश्यक न हो। हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म से संबंधित अपराध या *पॉक्सो अधिनियम* के अंतर्गत आने वाले बाल अपराधों से जुड़ी एफआईआर की प्रति सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाली जानी चाहिए , ताकि पीड़िता के नाम और पहचान को उजागर होने से रोका जा सके। सेशन न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय कुछ परिस्थितियों में पीड़िता के हितों को ध्यान में रखते हुए, लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद , कुछ व्यक्तियों को एफआईआर की प्रति देने की अनुमति दे सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहां उसकी पहचान उजागर करनी पड़ सकती है, वे हैं: जब उसके शरीर से नमूने लिए जाते हैं, जब चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, जब डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, जब स्कूल से जन्म तिथि की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड प्राप्त किए जाते हैं , आदि। हालांकि, इन मामलों में भी, पुलिस अधिकारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और पीड़िता की पहचान को यथासंभव गुप्त रखते हुए केवल आवश्यक जानकारी ही साझा करनी चाहिए, जिससे पीड़िता को उस सूचना से जोड़ा जा सके। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब ऐसे नमूने भेजे जाते हैं , तो जिन अधिकारियों को पीड़िता का नाम बताया जाता है, वे भी नाम और पहचान को गोपनीय रखने के लिए बाध्य होंगे और किसी भी प्रकार से इसे उजागर नहीं करेंगे, सिवाय रिपोर्ट में, जिसे केवल सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी या न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पत्राचार या मेमो, जिनमें पीड़िता का नाम उल्लिखित है, सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें और उन दस्तावेजों की प्रतियां सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए जाने से पहले पीड़िता के नाम को हटा दें। सीलबंद लिफाफा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अंतर्गत दायर की जाने वाली रिपोर्ट के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सभी दस्तावेजों को , जिनमें पीड़िता का नाम उल्लिखित है, सीलबंद लिफाफे में रखें और उन सभी रिकॉर्डों में , जिनकी समीक्षा कई लोगों द्वारा की जा सकती है, पीड़िता के नाम को हटा दें। ये जानकारी न तो मीडिया में प्रकाशित की जाए और न ही इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत, बलात्कार के अपराध की सुनवाई करने वाली आपराधिक अदालतों को अपने आदेश या निर्णय में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद, आलोच आदेश, जो केवल दो पृष्ठों का है, उसमें कई स्थानों पर पीड़िता का नाम उल्लिखित किया गया है। ऐसी प्रथा निंदनीय है। इसी प्रकार, जांच अधिकारी ने जांच के दौरान तथा न्यायालय में डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए दायर आवेदन में भी पीड़िता का नाम उल्लिखित किया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णयों में इसे स्पष्ट रूप से निंदनीय ठहराया है। इसके बावजूद, जांच अधिकारी ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो यह निर्धारित करती है कि पीड़िता के नाम को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

24. उपरोक्त के दृष्टिगत, निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति (माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से) उन न्यायिक अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए, जो यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, ताकि भविष्य में वे अपने आदेश या निर्णय में बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख न करें। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव (गृह) को भेजी जाए, ताकि इसे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों तक पहुंचाया जा सके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ, यह याचिका खारिज की जाती है।

हस्ता/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur